संख्या-11/2024/46/002-23-9002(002)/41/2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा व रायबरेली, उ0प्र0

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2024

विषय - वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत विभिन्न जनपदों के 06 चालू कार्य के अवशेष आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित आपके पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83, एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा पूर्व में स्वीकृत विभिन्न जनपदों के 06 चालू कार्य हेतु स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 1,13,00,000/- (रूपये एक करोड़ तेरह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्रम सं0	जिलाधिकारी का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल शासनादेश	स्वीकृत लागत/प्राविधिक लागत/गठित अनुबन्ध की लागत	बचत	बचत की उपरान्त कार्य की कुल लागत	आवंटन	अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3169/1सी, दि0 16.12.2023	गोण्डा	कडरू का मजरा हाकिमपुरवा सम्पर्क मार्ग।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019-07एससीपी/2019, दि0 09.12.2019	45.17 45.17 35.23	0.18	44.99	22.43	22.56	22.56
2	3169/1सी, दि0 16.12.2023	गोण्डा	बरवलिया कुर्सी का मजरा लालापुरवा सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019-07एससीपी/2019, दि0 09.12.2019	63.06 63.06 49.18	0.25	62.81	31.31	31.50	31.50
3	218/एसटी-1/2023, दि0 26.10.2023	रायबरेली	बक्ताखेड़ा सम्पर्क मार्ग।	45/2018/आ0-21/23-9-2018-01एससीपी/2018, दि0 06.07.2018	44.66 44.66 24.12	0.68	43.98	22.33	21.65	21.65
4	218/एसटी-1/2023, दि0 26.10.2023	रायबरेली	पूरे जीत सम्पर्क मार्ग।	45/2018/आ0-21/23-9-2018-01एससीपी/2018, दि0 06.07.2018	27.64 27.64 15.31	0.70	26.94	13.82	13.12	13.12
5	218/एसटी-1/2023, दि0 26.10.2023	रायबरेली	शहरी कौड़ी सम्पर्क मार्ग।	45/2018/आ0-21/23-9-2018-01एससीपी/2018, दि0 06.07.2018	39.31 39.31 12.23	0.78	38.53	19.66	18.87	18.87
6	218/एसटी-1/2023, दि0 26.10.2023	रायबरेली	बी0बी0 रोड-191 से ठकुराइनखेड़ा सम्पर्क मार्ग।	45/2018/आ0-21/23-9-2018-01एससीपी/2018, दि0 06.07.2018	12.05 12.05 6.49	0.72	11.33	6.03	5.30	5.30
									योग	**113.00**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त मार्गों के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,13,00,000 (रुपये एक करोड़ तेरह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892800 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

<u>संख्या- उपरोक्त एवं तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त।
6- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक।
7- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद।
8- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो01नि0वि0, लखनऊ।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/8
11- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
12. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
14- लोक निर्माण अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in